न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–80/2023 दायर दिनांक 21.06.2023

जीसीएमएस आई0डी0:–2023/200

1. दौलत उम्र 62 वर्ष पुत्र फत्ते
2. माया देवी उम्र 65 वर्ष पत्नि हरीसिंह
3. खुशीराम उम्र 70 वर्ष पुत्र फत्ते

} जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन सिटी

–सायलान–03

बनाम

1. रामभरोसी उम्र 82 वर्ष पुत्र श्योनारायण
2. अनिलसिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र भगवानसिंह
3. ऊषा देवी उम्र 58 वर्ष पुत्री भगवानसिंह
4. करण उम्र 58 वर्ष पुत्र परमाल
5. दामोदर उम्र 68 वर्ष पुत्र परमाल
6. भीम उम्र 62 वर्ष पुत्र परमाल
7. लखन उम्र 62 वर्ष पुत्र परमाल
8. विमला देवी उम्र 75 वर्ष पत्नि भगवानसिंह
9. शक्तिसिंह उम्र 42 वर्ष पुत्र हरीसिंह
10. श्यामसिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र शंकर
11. सुनीलसिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र भगवानसिंह
12. अजीत उम्र 45 वर्ष पिसरान कल्याण
13. नरेश उम्र 40 वर्ष } पिसरान
14. सन्तोष उम्र 37 वर्ष } कल्याण
15. मीना उम्र 68 वर्ष पत्नि कल्याण

} जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

16. भूरसिंह } पुत्रान नब्बो पत्नि ज्ञानसिंह जाति जाट निवासी शीशवाडा
17. जोगेन्द्र } तहसील महवा, जिला दौसा।
18. हेमा उम्र 40 वर्ष बेबा सत्येन्द्रसिंह } जाति जाट, निवासी महूखास
19. हरीराम उम्र 70 वर्ष पुत्र समयसिहं } तह० हिण्डौन जि० करौली।
20. राजवीर उम्र 50 वर्ष पुत्र सम्यसिंह } जाति जाट, निवासी महूखास
21. जितेन्द्र उम्र 40 वर्ष पुत्र समयसिह } तह० हिण्डौन, जिला करौली।
22. सरस्वती बेबा राजेन्द्र
23. तहसीलदार तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज)।
24. सब रजिस्टार कार्यालय हिण्डौनसिटी, जिला करौली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

–गैरसायलान–24

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री एस एल चौधरी वकील सायलान
2. श्री मोहन अवस्थी गैरसायलान

निर्णय दिनांकः—

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि सायलान व गैरसायलान 1 ता 11 व 12 लगायत 14 के पिता व 15 के पति कल्याण व गैरसायल नं0 15,16 की माँ नब्बो व गैरसायल नं0 18 के पति संत्येन्द्रसिंह व गैरसायल नं0 19 ता 21 के पिता समयसिंह व गैरसायल नं0 22 के ससुर समयसिंह की संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1125 रकवा 0.18 है०, एवं खसरा नम्बर 16 रकवा 0.55 है०, खसरा नम्बर 168 रकवा 0.15 है०, खसरा नम्बर 58 रकवा 0.15 है०, खसरा नम्बर 6 रकवा 1.06 है0, 721 रकवा 0.36 है०, 928 रकवा 0.21 है0, 964 रकवा 0.14 है। कुल किता 8 कुल रकवा 2.80 है० बांके तन ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराराजीयात का सायलान व गैरसायलान ने मौके पर बाहामी बटवारा कर रखा है, लेकिन अभी तक विधिवत बटवारा नही हुआ है तथा गैरसायल नं0 1 का उक्त आराजीयात में कोई कब्जा नहीं है गैरसायल नं० 1 अपने हिस्से की भूमि को पहले ही विक्रय कर चुका है। उक्त भूमि के खातेदार, कल्याण, गब्बी, सत्येन्द्रसिंह व समयसिंह फौत हो चुका है तथा गैरसायलान 12 लगायत 22 उनके कायम मुकामी वारितान है जो उनके तर्क पर काबिज है। आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थनापत्र का मौके पर विधिवत बटवारा नहीं होने के कारण सायलान व गैरसायलान 1 लगायत 22 के मध्य आये दिन बटवारे को लेकर विवाद होता रहता है तथा गैरसायल नं. 1 का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं होते हुये भी गैरसायल नं० 1 व उसके लड़के अमृत व शान्तनू जबरन उकत भूमि पर कब्जा करना चाहते है, जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है।

बांका दिनांक 14.06.2023 सुबह 9 बजे का है कि गैरसायल नं० 1 अपने पुत्रों को लेकर आराजी खसरा नम्बर 964 रकवा 0.14 है० बांके तन महूखास तहसील हिण्डौन सडक के सहारे भूमि को लेकर नींव खोदने लग गया तब सायलान ने कहा कि इस भूमि पर हमारा कब्जा है तथा तुम नींव क्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:32 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी

खोद रहे हो तथा सायलान ने कहा कि तुमने तुम्हारे हिस्से की भूमि को पहले ही विक्रय कर चुके हो अब तुम्हारा इस भूमि से क्या सम्बन्ध वास्ता है तब गैरसायल नं० 1 ने कहा कि मेरा उक्त भूमि में खातेदारी में नाम है इसलिये सडक के सहारे जबरन नींव खोदकर मकानात व दुकानात का निर्माण करूँगा तथा सायलान ने गैरसायल नं० 1 को काफी समझाया कि ऐसा मत करो तुम हमारे हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण मत करों लेकिन गैरसायल नं0 1 ने सायलान की एक भी नही सुनी तथा जबरन मकान व दुकान निर्माण करने की धमकी दी इसलिये यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्राईमाफेसी केश, अपूर्तणीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतूलन बखूबी सायलान के पक्ष में साबित है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान् को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे वे आराजी हाल खसरा नम्बर 1125 रकवा 0.18 है०, एवं खसरा नम्बर 16 रकवां 0.55 है०, खसरा नम्बर 168 रकवा 0.15 है०, खसरा नम्बर 58 रकवा 0.15 है०, खसरा नम्बर 6 रकवा 1.06 है0, 721 रकवा 0. 36 है0, 928 रकवा 0.21 है0, 964 रकवा 0.14 है० कुल किता 8 कुल रकवा 2.80 है० बांके तन ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में सायलान के उपयोग उपभोग में बाधा, मजामहत, मदाखलत न तो स्वंय पैदा करें, न ही किसी अन्य से करावे, सायलान को शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देंवें। उक्त आराजीयात में बिना विधिवत बटवारा कराये कोई पक्का निर्माण कार्य न तो स्वंय करें, न ही किसी अन्य से करावे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 की ओर से श्री मोहन अवस्थी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायलान बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायलान 1 की ओर से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में सायलान द्वारा कतई गलत एवम झूंठा दावा माननीय अदालत में पेश करना स्वीकार है, जिसमें सफलता मिलने का कोई चांस भी नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 जिस [illegible] तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। [illegible] आराजीयात का होना स्वीकार है। उपरोक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में गैरसायल न0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रामभरोसी का 1/2 हिस्सा है और गैरसायल स0 1 अपने हिस्से 1/2 की भूमि पर काबिज व दखील चला आ रहा है। गैरसायल स0 1 में अपने हिस्से की भूमि को किसी को नहीं बेचा है।

3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 में खातेदार कल्याण, नब्बो, सत्येन्द्र व समयसिंह का फौत होने वाली बात स्वीकार है।

4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। पक्षकारान मुकदमा के मध्य कोई विवाद नहीं होता है। गैरसायल न0 1 का विवादित आरजीयात में 1/2 हिस्सा है और गैरसायल स0 1 अपने 1/ 2 हिस्से की आराजी पर काबिज एवम दखील है। अन्य गैरसायलान व सायलान अपने हिस्से की जमीन पर काबिज चले आ रहे है। गैरसायल न0 1 व उसके लडके अमृत शांतनु सायलान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करना चाहता है। इस मद में दर्ज तमाम बाते कतई गलत एवम असत्य दर्ज की गयी है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। दिनांक 14.06.2023 को सुबह 9 बजे इस मद में वर्णित कोई बात प्रतिवादी स0 1 ने वादीगण से नहीं कही। खसरा न0 964 रकबा 0.14 है0 वाके तन महूखास जो कि सडक के सहारे पर है वह भूमि में 1/2 भाग में गैरसायल स0 1 का कब्जा है और गैरसायल न0 1 ने अपने हिस्से की उक्त भूमि खसरा न0 964 रकबा 0.14 ऐयर वाके ग्राम महूखास जो कि सडक के सहारे स्थित है पर 1/2 भाग की भूमि में भूमि की सुरक्षा के लिये बाउण्ड्री बाल करवा रखी है और अपने हिस्से की जमीन पर काबिज एवम दखील चला आ रहा है। गैरसायल न0 1 सायलान की भूमि या अन्य किसी भी गैरसायलान की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करना चाहता है। गैरसायल स0 1 बहुत ही सीधा सादा शातिप्रिय व्यक्ति है जो कि अपने हिस्से की भूमि को शांतिपूर्वक उपभोग करते चले आ रहे है। गैरसायल स0 1 ने कोई दुकान निर्माण व मकान निर्माण करने की धमकी नहीं दी। गैरसायल न0 1 ने अपने हिस्से की भूमि को किसी को भी विक्रय नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है।सायलान का कोई प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है और अपूर्तनीय क्षति भी सायलान को नहीं है और सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में साबित नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया केस गैरसायल स0 1 के हक में साबित है। प्रार्थना पत्र गलत पेश कर दिया है।

7. प्रार्थना पत्र में चाही गयी रिलीफ से इंकारी है। सायलान विरूद्ध सायलान स0 1 कोई रिलीफ किसी प्रकार की प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

प्रार्थना पत्र का कानूनन मेन्टेनेविल नहीं है, तथा निरस्त किये जाने योग्य है। आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में गैरसायल न0 1 का 1/2 हिस्सा है और गैरसायल न0 1 अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज एवम दखील चला आ रहा है। भूमि खसरा न0 964 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम महूखास तह0 हिण्डोन में गैरसायल स0 1 का 1/2 हिस्सा है और गैरसायल स0 1 ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि खसरा न0 964 में बाउण्ड्री हाल अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु कर रखी है। माननीय न्यायालय द्वारा आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में गैरसायल स0 1 की भूमि 1/2 भाग का अलग खाता लगान कायम करवा दिया जावे तो गैरसायल स0 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2070–73, नक्शा ट्रैस खाता संख्या 19 वाके ग्राम महुखास तहसील हिण्डौन पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान् को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे वे आराजी हाल खसरा नम्बर 1125 रकवा 0.18 है०, एवं खसरा नम्बर 16 रकवा 0.55 है०, खसरा नम्बर 168 रकवा 0.15 है०, खसरा नम्बर 58 रकवा 0.15 है०, खसरा नम्बर 6 रकवा 1.06 है0, 721 रकवा 0. 36 है0, 928 रकवा 0.21 है0, 964 रकवा 0.14 है० कुल किता 8 कुल रकवा 2.80 है० बांके तन ग्राम महुखास तहसील हिण्डौन में सायलान के उपयोग उपभोग में बाधा, मजामहत, मदाखलत न तो स्वंय पैदा करें, न ही किसी अन्य से करावे, सायलान को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। उक्त आराजीयात में बिना विधिवत बटवारा कराये कोई पक्का निर्माण कार्य न तो स्वंय करें, न ही किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:32 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अन्य से करावे। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया। वकील गैरसायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि प्रार्थना पत्र का कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है, तथा निरस्त किये जाने योग्य है। आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में गैरसायल न0 1 का 1/2 हिस्सा है और गैरसायल न0 1 अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज एवम दखील चला आ रहा है। भूमि खसरा न0 964 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम महूखास तह0 हिण्डोन में गैरसायल स0 1 का 1/2 हिस्सा है और गैरसायल स0 1 ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि खसरा न0 964 में बाउण्ड्री हाल अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु कर रखी है। माननीय न्यायालय द्वारा आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में गैरसायल स0 1 की भूमि 1/2 भाग का अलग खाता लगान कायम करवा दिया जावे तो गैरसायल स0 1 को कोई आपत्ति नहीं है। जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायला विरुद्ध गैरसायलान मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 19 वाके ग्राम महुखास तहसील हिण्डौन के सायलान एवं गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं सायल न0 1 का उक्त खाते में 1/24 हिस्सा लगभग 1 ऐयर है जो बहुत कम है एवं सायल का मौके पर कोई कब्जा भी नही है। जिससे कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 2/5/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:05:32 IST
Reason: SelfAttested